05/01/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप./ दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिदावा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः पेशी में ली जावे तब तक नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2014/00193

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– बी.आर.मीणा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 136/2014 GCMS:-2014/00193

अनवान मुकदमा–

1. मींरादेवी पत्नी स्व0 श्री रूपाराम पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी.एम. वी.पी.ओ. बीरमाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र ———।
3. भूपेन्द्र । पि0 स्व0 श्री रूपाराम नाबालिगान जरिए कुदरतीवली माता मींरादेवी पत्नी
4. कंचन ———। स्व0 श्री रूपाराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी.एम. तह0 सूरतगढ़।

———वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा वी.पी.ओ. मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. उदाराम पुत्र श्री नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 जी.बी.एम. वी.पी.ओ. बीरमाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. रामजीलाल पुत्र श्री नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा वी.पी.ओ. मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा– 88,53,209 आर0टी0ए01955

उपस्थितीः– श्री बी.एल.चाण्डक,संजय चाण्डक अधिवक्तागण वादीगण

श्री भगवानदत शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 व 3

श्री राकेश कुमार मनचन्दा अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 2

निर्णय

दिंनाकः 05.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के द्वारा उक्त अनवान का वाद–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन से तलब किया गया। नियत दिंनाक को प्रतिवादीगण की तरफ से उनके अधिवक्तागण पत्रावली पर उपस्थित हुए।

प्रतिवादी संख्या– 1 व 3 की तरफ से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिंनाक 11/09/2015 व 12/10/2015 को अपना [illegible] पत्रावली पर पेश किया गया तथा दिंनाक 09/02/2016 को प्रतिवादी संख्या– 2 के अधिवक्ता के द्वारा अपना जवाब दावा मय आपतियां व प्रतिवाद–पत्र पत्रावली पर पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किए गए। वादीगण के द्वारा दिंनाक 23/06/2016 को जवाबुल जवाब व प्रतिवाद–पत्र का जवाब पत्रावली पर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

1. आया, वादी संख्या– 1 के ससुर ओर वादी संख्या– 2 ता 4 के दादा व प्रतिवादी संख्या– 1 ता 3, गुडडी देवी–रामपति देवी– केसर देवी– सुन्दर देवी– भागा देवी–

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

गीता देवी के पिता नत्थुराम पुत्र चैनाराम के नाम से चक 2 बीपीएसएम तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 की खाता संख्या– 35/1764 में अंकित खाता की कुल 6.831 है0 [5.313 क0 व 1.518 अ0क0] खातेदारी भूमि अंकित है?

———वादी

2. आया, नत्थुराम व उनकी पत्नी सरबती के स्वर्ग सिधारने के पश्चात उनके जायज 10 वारीस थे। जिनमें से एक वारीस पुत्र रूपाराम वादीगण के पति व पिता का दिंनाक 20/08/2005 को स्वर्गवास होने के पश्चात, उनके वारीस वादी संख्या– 1 ता 4 है?

———वादी

3. आया, नत्थुराम के द्वारा अपने ओर वादीगण के पति व पिता के जीवनकाल में तनकी संख्या– 1 में अंकित अपनी भूमि का सहमति–पूर्वक घरू बंटवारा कर अपने चारों पुत्रों वादीगण के पति व पिता ओर प्रतिवादी संख्या– 1 ता 3 को 1/4–1/4 हिस्सा प्रत्तेक पुत्र को बराबर–बराबर दी हुई है? ———वादी

4. आया, नत्थुराम की पुत्रियों गुडडी देवी– रामपति देवी– केसर देवी– सुन्दर देवी– भागो देवी– गीता देवी का विवाह नत्थुराम के द्वारा अपने जीवनकाल में ही किया जा चुका था। इसलिए अब वे तनकी संख्या– 1 में अंकित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है? ———वादी

5. आया, तनकी संख्या–1 में स्व0 नत्थुराम के नाम से अंकित 6.831 है0 क0/अ0क0 खातेदारी पैत्रिक कृषि भूमि में मुताबिक घरूबंटवारा वादीगण संख्या– 1 ता 4 अपने नाम से 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 की घोषणा करवाने के अधिकारी है? ———वादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

6. आया, वादीगण तनकी संख्या– 5 में चाही गई घोषणा के पश्चात खाता की कुल 6.831 है0 क0/अ0क0 भूमि में अपने 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 भूमि का अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी का किला नम्बर वाइज विभाजन राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में करवाने के अधिकारी है? ———वादी

7. आया, स्व0 नत्थुराम की पुत्रियों के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का त्याग करते हुए पंजीबद्व करवाई गई दस्तबरदारियां एक वोइड दस्तावेज होने के कारण वादीगण के हितों पर निष्प्रभावी है? ———वादी

8. आया, वादीगण के द्वारा अपना वाद–पत्र कम कोर्ट फीस पर पेश किए जाने के कारण वादीगण का वाद–पत्र आदेश– 7 नियम– 11 सीपीसी के तहत निरसत किए जाने योग्य है? ———प्रतिवादी संख्या–2

9. आया, स्व0 नत्थुराम की जायज वारीस छः पुत्रियों को वादीगण के द्वारा अपने वाद–पत्र में पक्षकार बनाए बिना उनके विरासतन प्राप्त हिस्सा की भूमि के संबध में कोई अनुतोष वादीगण नियमानुसार प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी ना होने के कारण वाद–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है? ———प्रतिवादी संख्या–2

10. आया, वादीगण के द्वारा अपना वाद–पत्र इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों ना लाकर, पंजीबद्व दस्तावेज दस्तबरदारियों के सही तथ्य जानबुझकर छिपाते हुए गल्त व विधि–विरूद्व पेश किए जाने के कारण वाद वादीगण निरस्त किए जाने योग्य है?

———प्रतिवादी संख्या–2

11. आया, नत्थुराम के नाम से तनकी संख्या– 1 में अंकित 6.831 है0 क0/अ0क0 खातेदारी भूमि में इनके स्वर्ग सिधारने पर उनके सभी दसो जायज वारीस हिन्दु उतराधिकार अधि0 की धारा–8 के अनुसार विरासतन प्रत्तेक 1/10 हिस्सा के हिस्सेदार व खातेदार हुए?

———प्रतिवादी संख्या–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

12. आया, स्व0 नत्थुराम के नाम से [illegible]–1 में अंकित 6.831 है0 क0/अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि [illegible] विरासतन प्राप्त हिस्सा आपसी सहमति व रजामन्दी से एक ही समय [illegible] दिंनाक 09/07/2014 को उनकी पुत्रियों गुडडी देवी–रामपति देवी–सुन्दर देवी–भागो देवी के द्वारा संयुक्त रूप से अपना 4/10 हिस्सा ब0हि0ब0 प्रतिवादी संख्या– 1 त[illegible] ओर वादी संख्या– 1 के पक्ष में ब0हि0ब0 पंजीबद्व दस्तबरदारी व केसर देवी ओर गीता देवी के द्वारा अपना 2/10 हिस्सा ब0हि0ब0 प्रतिवादी संख्या– 1 के पक्ष में पंजीबद्व दस्तबरदारी द्वारा हक त्याग किया हुआ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

है। इन उक्त दस्तावेजों के सिविल न्यायालय से निरस्त करवाए बिना इनके सबंध में वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है? ---प्रतिवादी संख्या–2

13. आया, प्रतिवादी स्व0 नत्थुराम के नाम से तनकी संख्या–1 में अंकित 6.831 है0 क0/अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि में विरासतन व पंजीबद्व दस्तबरदारियों द्वारा प्राप्त भूमि के अनुसार वादी संख्या– 1 के नाम 0.853 है0, वादी संख्या– 2 ता 4 के नाम से ब0हि0ब0 0.513 है0, प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से 1.366 है0, प्रतिवादी संख्या– 2 के नाम से 2.732 है0 व प्रतिवादी संख्या– 3 के नाम से 1.367 है0 हिस्सा भूमि के हिस्सेदार व खातेदार की घोषणा करवाने का अधिकारी है? ---प्रतिवादी संख्या–2

14. अनुतोष।

उपरोक्त तनकीयात कायम होने के पश्चात पत्रावली पर वादी एंव उनकी तरफ से प्रस्तुत साक्षियों के शपथ–पत्र बयान पत्रावली पर लिए गए। जिनसे प्रतिवादी नं0 2 के अधिवक्ता के द्वारा पूर्ण जिरह भी की गई। प्रतिवादी नं0 1 व 3 ने शपथ–पत्र बयान पत्रावली पर पेश किए। प्रतिवादी नं0 2 को साक्ष्य हेतु अनेंको अवसर दिए जाने के पश्चात तथा न्यायहित में कोस्ट पर भी अनेकों अवसर दिए जाने के पश्चात भी प्रतिवादी नं0 2 के द्वारा कोस्ट अदा न किए जाने के कारण प्रतिवादी नं0 2 को आदेशित किया कि वे पूर्व में उनके विरूद्व कायम कोस्ट अदा करें। तब तक वाद–पत्र में आगे भाग लेने से प्रतिबन्धित किया गया। बावजुद आदेश के प्रतिवादी नं0 2 के द्वारा कोस्ट जमा न कराए जाने पर जैरकार पत्रावली अंतिम बहस के लिए नियत की गई। वकील वादीगण की अंतिम बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद–पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी नं0 1 के ससुर व वादी नं0 2 ता 4 के दादा श्री नत्थुराम पुत्र श्री चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा के नाम से राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 2 जी.बी.एम. में खाता संख्या– 35/1764 के प0नं0 35/60 [63] के कि0नं0 13 ता 17, 24, 25 में 1.771 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि, प0नं0 55/4 [64] के कि0नं0 9 ता 12, 18 ता 23 में 2.530 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि, प0नं0 55/5 [67] के कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 10 में 1.518 है0 कमाण्ड भूमि एंव प0नं0 35/61 [68] के कि0नं0 4 ता 7 में 1.012 है0 कमाण्ड कुल 27 किलों में 6.831 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 जी.बी.एम. सम्वत 2067–2070 वाद–पत्र के साथ पेश की हुई है। वादी संख्या–1 के ससुर तथा सास व वादी संख्या–2 ता 4 के दादा व दादी का देहान्त हो चुका है। उनके मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति वाद–पत्र के साथ पेश की हुई है। स्व0 श्री नत्थुराम पुत्र श्री चैनाराम के कुल 10 जायज वारीस थे। उनमें से एक वारीस रूपाराम पुत्र श्री नत्थुराम जो कि वादी नं0 1 का पति व वादी नं0 2 ता 4 का पिता था, का भी देहान्त हो चुका है। उनका मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारीस प्रमाण–पत्र वाद–पत्र के साथ पेश किया हुआ है।

वादाधीन पैत्रिक कृषि भूमि का वर्षो पूर्व अर्थात स्व0 श्री नत्थुराम के जीवनकाल में ही सहमति पूर्वक घरू–बंटवारा हो चुका था। उसी घरू बंटवारा अनुसार वादी संख्या–1 के ससुर ने अपने चारों पुत्रों को वादग्रस्त कृषि भूमि 1/4–1/4 हिस्सानुसार ब0हि0ब0 दे दी थी। तब से लेकर आज तक वादी नं01 अपने 1/4 हक व हिस्सा की भूमि पर पहले वादी के पति का एंव उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्व0 श्री नत्थुराम की पुत्रियों का विवाह पिता के जीवनकाल में ही हो गया था इसलिए अब वर्तमान में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। वादीगण का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हक व हिस्सा ब0हि0ब0 होने की घोषणा स्वीकार की जावे एंव उसी अनुसार किला नम्बर वाइज अच्छी मंदी के अनुसार भूमि का विभाजन भी स्वीकार फरमाया जावे। वकील वादीगण के द्वारा अपनी बहस में प्रतिवादी संख्या–2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय आपतियां व प्रतिवाद पत्र में दर्ज कथनों के सबंध में भी उनका खण्डन करते हुए विस्तार से कानूनी द्रष्टांतो का हवाला देते हुए अपनी बहस को जारी रखा। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या–2 के द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवाद–पत्र में वादाधीन कृषि भूमि की बाबत जिन दस्तावेज दस्तबरदारियों का उल्लेख किया गया है वे प्रथम दिन से ही एक शुन्य एंव अकृत दस्तावेज की श्रेणी में थे। प्रथमतः तो वाद–पत्र दायरी की दिंनाक से लेकर आज तक वादाधीन कृषि भूमि स्व0 श्री नत्थुराम पुत्र श्री चैनाराम के नाम से बतोर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कानूनः जब तक कोई भी किसी भी सम्पति का पूर्ण मालिक नहीं बन जाता तब तक उसके कानूनी अधिकार उस सम्पति में सृजित नहीं माने जाते है। इस कारण जब स्व0 श्री नत्थुराम की समस्त पुत्रियां वादग्रस्त कृषि भूमि की रिकार्डेड मालिक ही नहीं बनी थी तो उनके द्वारा निष्पादित वादग्रस्त कृषि भूमि की बाबत कोई भी दस्तावेज स्वतः ही शुन्य एंव अकृत दस्तावेज हो जाता है। द्वितिय, यह कि कानून इस बात की भी इजाजत नहीं देता है कि विरासतन प्राप्त कृषि भूमि को जरिए दस्तावेज दस्तबरदारी आप अपना हिस्सा किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित करें। मृतक के किसी भी वारीस के द्वारा जब कि वह रिकार्डेड मालिक हो जाता है तो विरासतन प्राप्त हुई सम्पति में अपने हक व हिस्सा की सम्पति को शेष समस्त वारीसान के पक्ष में समान रूप से जरिए दस्तबरदारी त्याग किया जा सकता है। ना कि केवल एक सदस्य के पक्ष में। ऐसे शुन्य एंव अवैध दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की भी कतई आवश्यकता नहीं है ऐसे शुन्य दस्तावेजों को राजस्व न्यायालय ही निरस्त करने हेतु सक्षम है। साथ ही प्रतिवादी नं0 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद–पत्र को प्रतिवादी नं0 2 ने अपने साक्ष्यों से पुष्टि नहीं की है। फलस्वरूप प्रतिवादी नं0 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद–पत्र आधारहीन होने के कारण अस्वीकार योग्य हो जाता है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 2 ने प्रथम दिन से ही निष्पादित हुए ऐसे अवैध,शुन्य एंव अकृत दस्तावेज के आधार पर अपने प्रतिवाद–पत्र के माध्यम से श्रीमान न्यायालय से जो–जो अनुतोष चाहे है वह पूर्णतयः विधि–विरूद्व दस्तावेज पर आधारित होने के कारण अस्वीकार योग्य है। एंव प्रतिवाद–पत्र मय हर्जाना खारीज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एंव प्रतिवादी नं0 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय आपतियां व प्रतिवाद–पत्र के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं01:– आया, वादी संख्या–1 के ससुर ओर वादी संख्या– 2 ता 4 के दादा व प्रतिवादी संख्या– 1 ता 3 गुडडी देवी–रामपति देवी– केसर देवी– सुन्दर देवी– भागा देवी– गीता देवी के पिता नत्थुराम पुत्र चैनाराम के नाम से चक 2 बीपीएसएम तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 की खाता संख्या– 35/1764 में अंकित खाता की कुल 6.831 है0 [5.313 क0 व 1.518 अ0क0] खातेदारी भूमि अंकित है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस सबंध में वादग्रस्त कृषि भूमि की बाबत चक 2 जी बी एम के खाता संख्या– 35/1764 सम्वत 2067–2070 नत्थु पुत्र चेना कोम कुम्हार के नाम की प्रमाणित नकल जमाबन्दी पेश की है। जब कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के रूप में गुडडी देवी वगै0 के जो नाम अंकित किए गए है वे वास्तविकता में प्रस्तुत उक्त अनवान के वाद–पत्र में बतोर पक्षकार कायम ही नहीं है। इस प्रकार वादीगण ने इस तनकी को दस्तावेजी प्रमाणों से बखुबी साबित किया है। फलस्वरूप इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण स्वीकार किया जाता है।

तनकी नं02:– आया, नत्थुराम व उनकी [illegible] के स्वर्ग सिधारने के पश्चात उनके जायज 10 वारीस थे। जिनमें से एक [illegible] पु[illegible]राम वादीगण के पति व पिता का दिंनाक 20/08/20[illegible] को [illegible] होने के [illegible]त उनके वारीस वादी संख्या– 1 ता 4 है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को सिद्व करने का [illegible] वादीगण पर था। इस सबंध में वादीगण के द्वारा अपने वाद–पत्र के साथ स्व0 रूपाराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारीस प्रमाण पत्र की प्रति पेश की हुई हैं। जिससे स्पष्ट प्रतित होता है कि मृतक रूपाराम के वादीगण ही केवल मात्र वारीसान है। एंव साथ ही प्रतिवादीगण के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रमाण–पत्र व वारीस प्रमाण–पत्र का खण्डन भी नहीं किया गया है। फलस्वरूप इस तनकी को भी वादीगण साबित करने में सफल रहे है। इसलिए इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण स्वीकार किया जाता है।

तनकी नं03:– आया, नत्थुराम के द्वारा अपने ओर वादीगण के पति व पिता के जीवनकाल में तनकी संख्या–1 में अंकित अपनी भूमि का सहमति पूर्वक घरू बंटवारा कर अपने चारों पुत्रों वादीगण के पति व पिता ओर प्रतिवादी संख्या– 1 ता 3 को 1/4–1/4 हिस्सा प्रत्तेक पुत्र को बराबर–बराबर दी हुई है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण पर था। उक्त अनवान की जैरकार पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट हो रहा है कि वादग्रस्त कृषि भूमि को स्व0 नत्थुराम के द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने चारों पुत्रों को ब0हि0ब0 बंटवारा करके दी हुई है। वादीगण के अतिरिक्त पत्रावली पर मोजुद प्रतिवादी नं0 1 व 3 के जवाब दावा से भी इस बात की प्रमाणिकता बखुबी साबित हो रही है। वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहे है। इस प्रकार इस तनकी का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

तनकी नं04:– आया, नत्थुराम की पुत्रियों गुडडी देवी–रामपति देवी–केसर देवी–सुन्दर देवी–भागो देवी–गीता देवी का विवाह नत्थुराम के द्वारा अपने जीवनकाल में ही किया जा चुका था। इसलिए अब वे तनकी संख्या–1 में अंकित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। तनकी नं0 3 की भांति ही इस तनकी को भी बहक वादीगण स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकी नं05:– आया, तनकी संख्या–1 में स्व0 नत्थुराम के नाम से अंकित 6.831 है0 क0/अ0क0 खातेदारी पैत्रिक कृषि भूमि मुताबिक घरूबंटवारा वादीगण संख्या– 1 ता 4 अपने नाम से 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 की घोषणा करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एंव प्रतिवादी नं0 1 व 3 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वर्णित कथनों के आधार पर एंव इतने समय तक जैरकार रहे उक्त अनवान के वाद–पत्र पर स्व0 श्री नत्थुराम की किसी भी पुत्री के द्वारा अपने किसी भी हक व हिस्सा को प्राप्त करने हेतु पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना अथवा अतिरिक्त वाद प्रस्तुत न करना इस बात की ओर इंगित करता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि जो कि स्व0 श्री नत्थुराम पुत्र चैनाराम के नाम से है, में वादीगण अपने 1/4 हक व हिस्सा ब0हि0ब0 की घोषणा स्वीकार करवाने के पूर्ण अधिकारी है। इसलिए इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण स्वीकार फरमाया जाता है।

तनकी नं06:– आया, वादीगण तनकी संख्या–5 में चाही गई घोषणा के पश्चात खाता की कुल 6.831 है0 क0/अ0क0 भूमि में अपने 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 भूमि का अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी का किला नम्बर वाइज विभाजन राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर था। चूंकि तनकी नं0 5 वादीगण के पक्ष में स्वीकार फरमाई गई है। इस कारण वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने 1/4 हक व हिस्सा में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का अच्छी–मंदी के अनुसार किला नम्बर वाइज विभाजन करवाने के पूर्ण अधिकारी है। इस प्रकार यह तनकी भी बहक वादीगण स्वीकार फरमाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं07:– आया, स्व0 नत्थुराम की [illegible]रा अपने हिस्सा की भूमि का त्याग करते हुए पंजीबद्ध करवाई गई [illegible] वोइड दस्तावेज होने के कारण वादीगण के हितों पर [illegible] है?

इस [illegible] वादीगण पर था। वादीगण के अधिवक्ता ने दोराने [illegible] पूर्वक ढ़ंग से एंव साथ ही कानूनी नजीरों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि विरासतन प्राप्त सम्पति में कोई भी एक अंशधारी अपने हक व हिस्सा की सम्पति को समस्त सहअंशधारियों में समान रूप से त्याग करेगा ना कि किसी एक सहअंशधारी के पक्ष में। स्व0 श्री नत्थुराम की पुत्रियों के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादग्रस्त कृषि भूमि की बाबत अपने हक व हिस्सा के सबंध में केवल मात्र अपने एक भाई के पक्ष में जिस प्रकार से हक त्याग किया है ऐसा दस्तावेज प्रथत दिन से ही कानूनः एक अवैध एंव शुन्य दस्तावेज होता है। ऐसे अवैध दस्तावेज का कानूनः कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण ने ठोस तरिके से उक्त तनकी को सिद्व किया है। इसलिए इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण स्वीकार फरमाया जाता है।

तनकी नं08:— आया, वादीगण के द्वारा अपना वाद—पत्र कम कोर्ट फीस पर पेश किए जाने के कारण वादीगण का वाद—पत्र आदेश—7 नियम—11 सीपीसी के तहत निरस्त किए जाने योग्य है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी नं02 पर था। किन्तु वह किसी भी प्रकार से इस तनकी को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। लिहाजा इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी संख्या—2 एंव बहक वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं09:— आया, स्व0 नत्थुराम की जायज वारीस छः पुत्रियों को वादीगण के द्वारा अपने वाद—पत्र में पक्षकार बनाए बिना उनके विरासतन प्राप्त हिस्सा की भूमि के सबंध में कोई अनुतोष वादीगण नियमानुसार प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी ना होने के कारण वाद—पत्र निरस्त किए जाने योग्य है?

इस तनकी को भी सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या—2 पर था। किन्तु इस सबंध में भी प्रतिवादी संख्या— 2 इस तनकी को किसी प्रकार से साबित करने में पूर्ण असफल रहा है। इसलिए इस तनकी का निर्णय भी विरूद्व प्रतिवादी संख्या— 2 एंव बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी न0 10 ता 13 जो कि प्रतिवादी संख्या— 2 से सबंधित थी। इन तनकी को न्यायालय के समक्ष समुचित साक्ष्य से प्रतिवादी नं0 2 को ही साबित करना था। किन्तु प्रतिवादी नं0 2 इनको साबित करने में पूर्णतयः असफल रहा है। फलस्वरूप इन तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी नं0 2 एंव बहक वादीगण स्वीकार फरमाया जाता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर एंव प्रतिवादी नं0 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद—पत्र खारीज करते हुए जरिए डिक्री आदेश दिया जाता है कि वादाधीन कृषि भूमि जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी नं0 1 के ससुर व वादी नं0 2 ता 4 के दादा श्री नत्थुराम पुत्र श्री चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा के नाम से राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 2 जी.बी.एम. में खाता संख्या— 35/1764 के प0नं0 35/60 [63] के कि0नं0 13 ता 17, 24, 25 में 1.771 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि, प0नं0 55/4 [64] के कि0नं0 9 ता 12, 18 ता 23 में 2.530 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि, प0नं0 55/5 [67] के कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 10 में 1.518 है0 कमाण्ड भूमि एंव प0नं0 35/61 [68] के कि0नं0 4 ता 7 में 1.012 है0 कमाण्ड कुल 27 किलों में 6.831 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है, में वादीगण का 1/4 हक व हिस्सा ब0हि0ब0 होने की घोषणा स्वीकार की जाती है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से 1.708 है0 ब0हि0ब0 एंव शेष नत्थुराम पुत्र चैनाराम के नाम से 5.123 है0 कृषि भूमि दर्ज की जावे। इस आशय की पालना राजस्व रिकार्ड में की जाकर संयुक्त खाता में दर्ज वादीगण के हक व हिस्सानुसार अच्छी—मंदी व रास्ता एंव खाला की सुविधा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव लिए जाने हेतु प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

[आदेश–21 रूल–6,7 जाब्ता दीवानी]

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– बी.आर.मीणा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 136/2014

अनवान मुकदमा–

1. मींरादेवी पत्नी स्व0 श्री रूपाराम पुत्र नत्थुराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी.एम. वी.पी.ओ. बीरमाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र –––।
3. भूपेन्द्र । पि0 स्व0 श्री रूपाराम नाबालिगान जरिए कुदरतीवली माता मींरादेवी पत्नी
4. कंचन –––। स्व0 श्री रूपाराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी.एम. तह0 सूरतगढ़।

–––वादीगण

बनाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

1. रामकिशन पुत्र श्री नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा वी.पी.ओ. मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. उदाराम पुत्र श्री नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 जी.बी.एम. वी.पी.ओ. बीरमाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. रामजीलाल पुत्र श्री नत्थुराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा वी.पी.ओ. मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा– 88,53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

यह मुकदमा आज वास्ते इंफिसाल कितई रूबरू सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ व हाजिरी श्री बी.एल. चाण्डक व संजय कुमार चाण्डक वकील वादीगण उपस्थित। वाद वादीगण स्वीकार कर एंव प्रतिवादी संख्या– 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद–पत्र खारीज करते हुए जरिए डिकी आदेश किया जाता है कि वादाधीन कृषि भूमि जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी नं0 1 के ससुर व वादी नं0 2 ता 4 के दादा श्री नत्थुराम पुत्र श्री चैनाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा के नाम से राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 2 जी.बी.एम. में खाता संख्या– 35/1764 के प0नं0 35/60 [63] के कि0नं0 13 ता 17, 24, 25 में 1.771 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि, प0नं0 55/4 [64] के कि0नं0 9 ता 12, 18 ता 23 में 2.530 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि, प0नं0 55/5 [67] के कि0नं0 1 ता 3, 8 ता 10 में 1.518 है0 कमाण्ड भूमि एंव प0नं0 35/61 [68] के कि0नं0 4 ता 7 में 1.012 है0 कमाण्ड कुल 27 किलों में 6.831 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भू[illegible] में वादीगण का 1/4 हक व हिस्सा ब0हि0ब0 होने की घो[illegible] उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी[illegible] के नाम से [illegible] है0 ब0हि0ब0 एंव शेष नत्थुराम पुत्र चैनाराम के नाम से 5.123 है0 कृषि भूमि दर्ज की जावे। इस आशय की पालना राजस्व रिकार्ड में की जाकर संयुक्त खाता में दर्ज [illegible]गण के हक व हिस्सानुसार अच्छी–मंदी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested

व रास्ता खाला की सुविधा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव लिए जाने हेतु प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी हो।

यह डिक्री न्यायालय की मोहर एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिंनाक 05.01.26 को जारी की गई है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:18 IST
Reason: SelfAttested